राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तर प्रदेश

त्रैमासिक रिपोर्ट

(अगस्त 18 से अक्टूबर 18 तक)

संकल्प से सिद्धि की ओर बढते कदम

हमारा है दृढ संकल्प व इच्छा, बाल अधिकारों का हो संरक्षण और सुरक्षा

14–बी, मॉल ऐवन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ
ईमेल:upbalaayog@gmail.com दूरभाष सं0:0522–2239066

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विषय वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रस्तावना	1–2
2	मण्डल स्तरीय समीक्षा का विवरण	3
3	जनपद स्तरीय निरीक्षण व शिकायतों के निस्तारण संबंधी विवरण	4
4	आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के द्वारा सम्पन्न अन्य विशिष्ट कार्य	5–6
5	समीक्षा व जॉच का निष्कर्ष	6
6	आयोग की संस्तुति	6–8
7	आयोग की प्राथमिकतायें	8–9
8	प्रस्तुत कार्य योजना	9
9	अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा किये गये निरीक्षण का कार्यवृत्त	10
10	अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों के छायाचित्र व प्रकाशित समाचार	11

प्रस्तावना

समाज का समग्र विकास तभी सम्भव है जब बच्चों का समग्र विकास सुनियोजित तरीके से किया जाये। समग्र विकास का अर्थ है ऐसा बालक जो साहस से परिपूर्ण, आत्म विश्वास से भरपूर, शारीरिक रूप से हष्ट–पुष्ट, मानसिक रूप से दृढ, चरित्रवान व बुद्धिबल से गठित हो। समग्र रूप से विकसित बालक/बालिका किशोरावस्था में पहुॅचकर अपनी ऊर्जा का प्रयोग राष्ट्रहित में करने हेतु सक्षम होते हैं। इस ऊर्जा को यदि सही दिशा मिलती है तो सृजन होता है, यदि सही दिशा न हो तो ऊर्जा विध्वन्स की ओर चली जाती है। समग्र रूप से विकसित बालक ही भविष्य में विवेकशील नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होता है। बालक वो पुष्प है जो खिलने पर सम्पूर्ण सृष्टि को महका सकता है। बस शर्त इतनी हैं कि उसे खिलने का पूरा अवसर प्राप्त हो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बालक को यह अवसर उसे परिवार और समाज दोनों मिलकर प्रदान करते हैं। यथार्थ यह है कि समाज उसे भयमुक्त वातावरण और परिवार उसे हौसला प्रदान करता है। तभी कली के रूप में यह पुष्प खिलकर अपने विकास के संपूर्ण संसार को विकसित करता है। शायद तभी यह बालक अपने विकास की सुंगध से सम्पूर्ण संसार को महका सकता है। इसी परिकल्पना के आधार पर उत्तर प्रदेश में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 (क्रिमिनल) सं0 102/2007 एक्सप्लाईटेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन द आर्फनेजेज ऑफ तमिलनाडू बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.13 के अनुपालन में राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 के अधिसूचना सं0 6069/60–1–13–1/13(92)/06 दिनांक 29. 11.2013 के द्वारा किया गया है। आयोग में 01 अध्यक्ष एवं 06 सदस्य, जिसमें कम से कम 02 महिलाओं की व्यवस्था की गई है।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1, उ0प्र0शासन की अधिसूचना सं0 8/2018/1806/60–1–18–1/13(92)/06टीसी दिनांक 02.08.2018 के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम–2005 की धारा 17 के अन्तर्गत नामित क्रमशः डॉ0 विशेष गुप्ता, अध्यक्ष, डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी, सदस्य, डॉ0 साक्षी बैजल, सदस्य, डॉ0 नीता साहू, सदस्य, डॉ0 प्रीति वर्मा,सदस्य के द्वारा दिनांक 06.08.2018/08.08.2018 को योगदान कर लिया गया। किन्तु श्रीमती बेबी रानी मौर्य को इसी मध्य उत्तराखण्ड की मा0 राज्यपाल नामित किया गया है एवं डॉ0 राजीव कुमार श्रीवास्तव, नामित सदस्य के द्वारा अभी योगदान नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 के अधिसूचना सं0 6069/60–1–13–1/13(92)/06 दिनांक 29.11.2013के अन्तर्गत निर्धारित अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यों के निष्पादन हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में बाल अधिकारों के संरक्षण, उल्लघंन व उनके हितों की रक्षा हेतु विभिन्न विभाग यथा–महिला कल्याण, बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण,शिक्षा, कौशल विकास, श्रम, पुलिस प्रशासन, विधिक सेवा से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति कोजानने व योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं निराकरण हेतु दिये गये सुझावों की संस्तुति हेतु सर्वप्रथम मण्डल स्तर पर आच्छादित जनपदों के अन्तर्गत इन विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों से विचार विमर्श के साथ हीस्थलीय निरीक्षण का सघन अभियान चलाया गया। अभी तक विगत 03 माह में किये गये कार्यों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण यथा– विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार, छाया चित्र, निष्कर्ष, संस्तुति, सुझाव अग्रेतर पृष्ठ पर दृष्टव्य हैं।

उ0प्र0राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली–2015 की धारा 13, 14 व 15 में वर्णित कृत्यएवं क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य मुख्यतः किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2015 तद्विषयक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली–2016, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 तद्विषयक बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011, लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012, बाल श्रम (प्रतिषेध/विनियमन) अधिनियम–1986 तद्विषयक संशोधित अधिनियम–2016, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के उल्लघंन का प्रकरण, पी.एन.डी.टी.एक्ट–1994 (कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित प्रकरण), बेटी बचाओं–बेटी पढाओं योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र, उच्च प्राथमिक विद्यालय, नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र की सी.एच.सी. /पी.एच.सी. (बालकों से सम्बन्धित) चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था, जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 से आच्छादित हैं तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा महिला कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, समाज कल्याण, बाल विकास, श्रम एवं सेवायोजन, कौशल विकास, गृह, अल्पसंख्यक कल्याण, कारागार एवं सुधार सेवायें, जिला/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं/विद्यालयों केअन्तर्गत बालकों के संरक्षण, सुरक्षा व पुनर्वासन आदि से सम्बन्धित संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से समन्वय एवं सहयोग से सम्पादित कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वयात्मक सहयोगके साथ निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्प है। प्रथम चरण में बाल शिकायत निवारण दिवस मनाये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। त्रैमासिक रिपोर्ट के संयोजन एवं प्रस्तुतीकरण में श्री अजय कुमार सिंह, सदस्य सचिव, श्रीए.के. जायसवाल, परामर्शदाता(तकनीकी) एवं श्री सौरभ सिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक का सराहनीय योगदान रहा है।

(डॉ0 विशेष गुप्ता)
अध्यक्ष

मण्डल स्तरीय समीक्षा

आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के द्वारा अधोलिखित विवरण के अनुसार मण्डल स्तर पर आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ बाल अधिकार संरक्षण से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। प्रस्तुत समस्याओं के निराकरण आदि के लिये समेकित निष्कर्ष व सुझाव भी प्रस्तुत किये गये।

क्र0 सं0	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मण्डल कानाम	आच्छादित जनपद	समीक्षा की तिथि	अभ्युक्ति
1	डॉ0 विशेष गुप्ता	मुरादाबाद	बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल,	10.08.2018	समेकित सुझाव एवं संस्तुति पृष्ठ सं0 6–9 पर दृष्टव्य है।
		बरेली	बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, बदॉयू	05.09.2018	
		वाराणसी	वाराणसी, गाजीपुर, चन्दौली, जौनपुर	04.10.2018	
		मेरठ	मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, बुलनन्दशहर, बागपत	08.10.2018	
2	डॉ0 साक्षी बैजल	आगरा	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी	16.08.2018	समेकित सुझाव एवं संस्तुति पृष्ठ सं0 6–9 पर दृष्टव्य है।
		अलीगढ़	अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा	04.10.2018	
		कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रूखाबाद, औरैया, इटावा	29.10.2018	
3	डॉ0 नीता साहू	इलाहाबाद	इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़	17.08.2018	समेकित सुझाव एवं संस्तुति पृष्ठ सं0 6–9 पर दृष्टव्य है।
		झॉसी	झांसी, जालौन, ललितपुर	28.09.2018 व 29.09.2018	

आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के द्वारा अधोलिखित विवरण के अनुसार जनपद स्तर पर संचालित सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, आंगनबाड़ी केन्द्र, सी.एच.सी./पी.एच.सी., प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्वासियों, छात्रों व लाभार्थियों से सम्बन्धित क्रियाकलापों की जानकारी की गयी। प्रस्तुत समस्याओं के निराकरण आदि के लिये समेकित निष्कर्ष व सुझाव भी प्रस्तुत किये गये।

क्र0 सं0	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	जनपद का नाम	निरीक्षण की तिथि	संस्था/केन्द्र/प्रा0वि0 का नाम	संलग्नक (समाचार पत्र कटिंग/निरीक्षण आख्या)
1	डॉ0 विशेष गुप्ता	बिजनौर	21.08.2018	आर्य सुगन्ध विकलांग संस्थान, मुस्सेपुर, बिजनौर।	1
				प्रेमधाम मूकबधिर आश्रम।	2
		बरेली	05.09.2018	वार्न बेबी फोल्ड अनाथालय।	3
				आर्य समाज अनाथालय, सिविल लाईन्स।	4, 8
		वाराणसी	04.10.2018	साथी संस्था, हुकुलगंज, वाराणसी के द्वारा संचालित मुक्त आश्रय गृह का निरीक्षण।	5, 10, 11
		मेरठ	08.10.2018	सूरजकुण्ड, राजकीय बाल गृह (बालक)	6
2	डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी	बरेली	05.09.2018	वार्न बेबी फोल्ड अनाथालय।	7, 9
				आर्य समाज अनाथालय, सिविल लाईन्स।	4
		शाहजहॉपुर	06.09.2018	राजकीय बाल गृह (बालक)	
		वाराणसी	04.10.2018	साथी संस्था, हुकुलगंज, वाराणसी के द्वारा संचालित मुक्त आश्रय गृह का निरीक्षण।	5, 10, 11
3	डॉ0 नीता साहू	इलाहाबाद	17.08.2018	महिला शरणालय, इलाहाबाद।	
		झांसी	28 व 29.09.2018	1.प्राथमिक विद्यालय, केशवपुर। 2. आंगनबाड़ी केन्द्र केशवपुर। 3. मिश्नरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित निर्मला शिशु होम। 4. सेन्ट ज्यूड्स फाउण्डलिंग होम, प्रेमनगर, झांसी।	12, 13, 14, 15, 20, 21 व 22
4	डॉ0 प्रीति वर्मा	देवरिया	09.08.2018	मॉ विन्ध्यवासिनी बालिका संरक्षण गृह।	16
		लखीमपुर खीरी	17.08.2018 व 18.08.2018	1. मॉ काली बाल गृह। 2. अलीगंज, आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–3	
		सीतापुर	13.10.2018	परसेंडी सी.एच.सी.।	17, 18 व 19

प्राप्त विभिन्न शिकायतों के निस्तारण का विवरण –

क्र0सं0	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 से सम्बन्धित पत्रों की संख्या	स्वतः संज्ञानसे सम्बन्धित सन्दर्भों की संख्या	योग	निस्तारित सन्दर्भ	लम्बित सन्दर्भ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	135	21	12	168	136	32

<u>आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के द्वारा सम्पन्न अन्य विशिष्ट कार्य</u>

- सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, अलीगंज लखनऊ में कथित कक्षा–8 की छात्रा के साथ रेप की सूचना न्यूज–1 इन्डिया चैनल के माध्यम से प्रसारित घटना को स्वतः संज्ञान लेते हुए डॉ0 प्रीति वर्मा, सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा निरीक्षण किया गया तथा प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करायी गयी।
- दिनांक 29–30.08.2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के द्वारा Child Marriage in collaboration with South Asia Initiative to End Violence Against Children New Delhi द्वारा आयोजित संगोष्ठी में डॉ0 साक्षी बैजल, सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0लखनऊ द्वारा प्रतिभाग किया गया है। प्रदेश में बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम–1986 के क्रियान्वयन उत्पन्न समस्यायें और समाधान के सन्दर्भ में पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।
- राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन के द्वारा यूनीसेफ के कन्ट्री प्रोग्राम एक्शन प्लान (CPAP) 2018–2022 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों की रोलिगं वर्क प्लान–2018–19 तैयार करने हेतु दिनांक 28.08.18 को बैठक का आयोजन योजना भवन में किया गया। बैठक में डॉ0 प्रीति वर्मा, सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0 के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में यूनिसेफ के नोडल अधिकारी से कार्ययोजना हेतु माइक्रो एक्टिविटिज में सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया।
- मुख्य आयुक्त, दिव्यागंजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यागंजन संस्थान, देहरादून में संगीत शिक्षक द्वारा कथित रूप से छात्राओं का यौन शोषण करने सम्बन्धी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा–75–1 के अन्तर्गत Fact Finding Committee का गठन किया गया, जिसमें डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी, सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0 को अन्वेषण हेतु जाति समिति का सदस्य नामित किया गया है। डॉ0 शुचिता के द्वारा समिति के सदस्य के रूप में घटना के निरीक्षण हेतु भ्रमण किया गया।
- दिनांक 11.09.2018 को आयोग की सदस्य डॉ0 प्रीति वर्मा के द्वारा उ0प्र0 कॉपरेटिव सोसल रिसपॉन्सविल्टि, सी.एस.आर., वेब पोर्टल के उपयोग के सन्दर्भ में शासन के पत्र सं0 3146/33–3/2018–30/2017टीसी. दिनांक 11.09.2018 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत सी.एस.आर.के सहयोग के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश हेतु आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।
- दिनांक 13.09.18 को आयोग की सदस्य डॉ0 प्रीति वर्मा के द्वारा ''वर्ल्ड विजन इण्डिया'' के माध्यम से Endeavoring Education with Protection विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया। बालकों के समेकित कौशल विकास के सन्दर्भ में परिचर्चा की गयी। आर.टी.ई.एक्ट–2009 के अन्तर्गत के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में भी साझा प्रयास करने हेतु संकल्प लिया गया।
- दिनांक 14.09.18 को ''स्टेट रिसोर्स सेन्टर फॉर वूमेन एण्ड चाइल्ड, उ0प्र0'' के द्वारा कान्फ्रेन्स रूम डॉ0 राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम जिसमें जे.टी.आर.आई., महिला कल्याण, पुलिस,

पंचायतीराज, स्वास्थ्य, बाल विकास, बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों एवं राज्य महिला आयोग के प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा की गयी। अभिमुखी कार्यक्रम में विशेष रूप से महिला एवं बाल अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों/शिकायतों के निस्तारण, स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करने जॉच, सम्मन, मूल्यॉकन व पर्यवेक्षण से सम्बन्धित परामर्श व सुझाव समेकित कर प्रस्तुतीकरण किया गया।

समीक्षा/जॉच का निष्कर्ष–

- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के द्वारा आगरा, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, वाराणसी, झांसी, कानपुर, अलीगढ़ मण्डल के आच्छादित जनपदों के अतिरिक्त लखीमपुर खीरी, देवरिया, इलाहाबाद, सीतापुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा जनपदों में क्रमशः महिला कल्याण, बाल विकास, श्रम, कौशल विकास, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बाल कल्याण/विकास से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा व अन्य स्वैच्छिक संगठनों/विभागीय संस्थाओं के निरीक्षण से विदित हुआ है कि योजनायें व संस्थायें निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं चल रही हैं। परस्पर प्रशासकीय विभागों में समन्वयात्मक सहयोग का अभाव है। आयोग के कृत्यों, अधिकारों की भी पूर्ण जानकारी नहीं है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की सूचना के बावजूद भी कतिपय जनपदों के विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित अधिकारियों के द्वारा भी विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित वांछित अभिलेख व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी। आयोग के द्वारा उक्त की गयी समीक्षात्मक संक्षिप्त आख्या इस ओर इंगित करती है कि संस्थागत प्रबन्धन एवं बच्चों के हितों से सम्बन्धित जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन यथाः किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम)–2015, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, बाल श्रम (प्रतिशेध/विनियमन) अधिनियम–2016, लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012, बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम–2006, पी.एन.डी.टी.एक्ट –1994 (कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित प्रकरण), से सम्बन्धित विभिन्न प्राविधानों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता पायी गयी है। उक्त विभागों के अन्तर्गत कार्यरत शासन, मण्डल व जिला स्तर पर उ0प्र0राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ समन्वयात्मक सहयोग में परस्पर सहभागिता की आवश्यकता है।

आयोग की संस्तुति –

उक्त प्रस्तुत समीक्षात्मक आख्या एवं निष्कर्ष के आधार पर आयोग के द्वारा प्रथम चरण में निम्नवत् संस्तुति की जाती है –

- जनपद देवरिया में स्वैच्छिक संगठन, मॉ विन्ध्वासिनी बालिका संरक्षण गृह में बाल व यौन उत्पीड़न जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शासन, जिला, ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियों का पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है। संस्थाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने के साथ सदैव गतिशील व क्रियाशील निगरानी की आवश्यकता है। आई.सी. पी.एस. योजना के अन्तर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम)–2015 की धारा 110 के अन्तर्गत लगभग 58 प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 54 के अन्तर्गत निरीक्षण समितियों का प्राविधान किया गया है। देखने में आ रहा है कि निरीक्षण समितियॉ क्रियाशील नहीं हैं। संस्थाओं में निरूद्ध अन्तर्वासियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियमित निरीक्षण की आवश्यकता है। यदा–कदा वहॉ जो निरीक्षण किये जाते हैं उनके कार्यवृत्ति प्रसारित नहीं होती है। कार्यवृत्ति के अनुरूप अनुपालन अपरिहार्य किया जाना आवश्यक है।
- जे.जे.एक्ट–2000 तथा तद्सम्बन्धी संशोधित नियमावली–2007 के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति हेतु चयनित अध्यक्ष एवं सदस्यों में से अधिकांश पद रिक्त हैं। कई जगहों पर जिला प्रोबेशन अधिकारी के खराब व्यवहार के कारण बाल कल्याण समितियॉ ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। वर्तमान में इन सभी के चयन हेतु चयन समिति का गठन तो हो चुका है। अब चयन प्रक्रिया को गति देने की आवश्यकता है।

विभागीय संस्थाओं में जे0जे0एक्ट–2015 के इस अधिनियम के प्राविधान के अनुसार प्रबन्ध समिति, निगरानी समिति, बाल समिति, क्रय समिति को भी क्रियाशील कराये जाने से गृहों की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार कराया जाना भी आवश्यक है।

- धारा–109 के अन्तर्गत अधिनियम के मॉनिटरिंग हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के द्वारा आयोग को परस्पर समन्वयात्मक सहयोग प्रदान करने हेतु मुख्य सचिव स्तर से दिशा निर्देश/आदेश निर्गत कराये जाने की आवश्यकता है।
- बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के नियम–3 के अन्तर्गत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति को क्रियाशील कराया जाये। विद्यालय विकास की योजना में पारदर्शिता बरती जाये। पारदर्शिता के साथ नियमित अनुश्रवण कराया जाये। संशोधित नियमावली–2011 के नियम–24 के अन्तर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राविधान किया गया है। आयोग का गठन हो चुका है। इस हेतु प्रथक से शिक्षा विकास संरक्षण प्राधिकरण (आई.आर.ई.पी.ए.) के गठन की आवश्यकता नहीं है। नियम–25 के अन्तर्गत आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने का प्राविधान किया गया है। किन्तु इसका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के समन्वय के अभाव में नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप बच्चों के दाखिले से सम्बन्धित समस्या यथावत् बनी हुयी है। आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायतों पर कार्यवाही जिला स्तर पर नहीं होती है। नियम–26 के अन्तर्गत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्राविधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष व 14 सदस्य सम्मिलित होगें। विनम्र आग्रह है कि इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावशाली अनुपालन हेतु यथाशीघ्र राज्य सलाहकार परिषद का गठन कराया जाये, जिसमें आयोग के अध्यक्ष को भी सम्मिलित कराया जाये।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न योजनाओं के क्रियाशील बनाये जाने हेतु शोध मूल्यॉकन अनुश्रवण व पर्यवेक्षण (REMS) का दायित्व सौंपा गया है। इसके लिए त्वरित कार्यवाही करायी जाने हेतु उच्च स्तर पर बैठक कराये जाने की आवश्यकता है।
- लैगिंक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम–2012 (पाक्सो) की धारा–44 के अन्तर्गत राज्य आयोग को गठन के साथ अधिनियम की धारा–16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्राविधान किया गया है। इस अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बनायी गयी नियमावली–2012 के नियम–6 के अन्तर्गत आयोग को मॉनीटरिंग का अधिकार दिया गया है तथा बालकों के संरक्षण हेतु कृत्य का निर्धारण किया गया है। नियम–6(1) के उपनियम–क, ख, ग, घ व ड., नियम–(2), (3) व (4) के अनुसार वांछित आख्या प्रस्तुत करने हेतु उच्च स्तर से स्पष्ट दिशा निर्देश/आदेश निर्गत कराये जाने की आवश्यकता है।
- बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं विनियमन)–1986 के अन्तर्गत बाल श्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न प्राविधान किये गये हैं। जिन पर निगरानी का दायित्व बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति, श्रम प्रर्वतन अधिकारी, विशेष पुलिस इकाई,ए.एच.टी.यू. व श्रम के क्षेत्र में क्रियाशील स्वैच्छिक संगठनों व विभागीय संस्थाओं के मध्य समन्वय की आवश्यकता है। सुनियोजित तरीके से बाल श्रम उन्मूलन के साथ इनके पुनर्वासन की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा, मूल्यॉकन, अनुश्रवण हेतु शासन, मण्डल व जिला स्तर पर निगरानी समिति के गठन की आवश्यकता है।
- बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित होने वाले शिशुओं की स्थिति मानक के अनुरूप नहीं पायी गयी। सम्बन्धित कार्मिक निर्धारित दायित्वों का निवर्हन नहीं कर रहे हैं। दर्शाये गये आंकड़े भी वास्तविकता के विपरीत हैं। उच्च स्तरीय निरीक्षण समिति बनाये जाने की आवश्यकता है जिसमें आयोग के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित कराया जाये।

- चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों में महिला प्रसूती एवं बाल कुपोषण निवारण हेतु शासन स्तर से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रचार प्रसार के अभाव में प्रभावित हो रहा है। निचले स्तर पर इन योजनाओं की विधिवत् जानकारी लाभार्थियों को नहीं है। नियमित निगरानी व प्रचार प्रसार की आवश्यकता पायी गयी। इसके लिए भी उच्च स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन आयोग के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए कराया जाये। ताकि अगले चरण में निरीक्षण के दौरान सकारात्मक एवं प्रभावी पहल की जा सके।
- समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति केनिराश्रित बालक/बालिकाओं हेतु संचालित स्वच्छकार एवं आश्रम पद्धति विद्यालय में आवासित छात्र/छात्राओं की बहुत दयनीय स्थिति पायी गयी। मानक के अनुरूप छात्रों को सुविधायें नहीं मिल रही हैं। जिला स्तर पर इनकी सघन निगरानी,अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जो भी निरीक्षण किये जाते हैं,उनकी कार्यवृत्ति निर्गत नहीं होती है। इस व्यवस्था को अविलम्ब सुधारात्मक एवं क्रियाशील बनाये जाने की आवश्यकता है।
- अल्प संख्यक विभाग के अन्तर्गत मदरसे व छात्र/छात्राओं हेतु स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जो विद्यालय चल रहे हैं, उनकी भी नियमित निगरानी न होने के कारण आवंटित छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। आयोग को ऐसी भी शिकायत प्राप्त हुयी थीं, जो विद्यालय बन्द है पिछले दिनों उन्हें भी छात्रवृत्ति अनुदान दिया गया। इस प्रकार से और भी मामले हो सकते हैं। आयोग के स्तर से स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग के पत्र सं0 318 दिनांक 01.11.18 द्वारापुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत संचालित फर्मों/मदरसों की जॉच कराते हुए उनका अनुदान रोकने और उसके लिए जिम्मेदार विभाग के खिलाफ जॉच कराने की आवश्यकता है।

आयोग की प्राथमिकतायें एवं संस्तुतियॉ

- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामित होने के पश्चात बाल अधिकारों के संरक्षण सुरक्षा, पुर्नवास आदि के क्षेत्र में कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित विभागों से समन्वयात्मक सहयोग हेतु संवाद की प्रक्रिया जारी हो, इसके लिए मुख्य सचिव स्तर पर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर निराकरण हेतु नीतिगत निर्णय कराया जाना आवश्यक है।
- आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यों को होर्डिंग्स, वैनर, एल.ई.डी.वीडियो वैन, एल.ई.डी.डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार प्रसार करने हेतु कार्ययोजना बनाया जाना।
- उ0प्र0बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की अधिसूचना दिनांक 29.11.2013 को हुयी थी। आयोग के क्रियाकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ दिनांक 29.11.2013 को राज्य ''बाल अधिकार संरक्षण दिवस'' के रूप में मनाये जाने हेतु विचार किया जाना।
- बाल अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा, प्रशिक्षण व पुनर्वासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवी संस्था तथा व्यक्ति को पुरस्कार दिये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में अन्त्योदयी परिवारों के किशोर–किशोरियों को हाईस्कूल, इण्टर व स्नातक स्तर के उच्च अंक प्राप्त होने पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरूस्कार प्रशस्ति–पत्र दिये जाने की कार्ययोजना तैयार करना। जनपद स्तर पर बालकों से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई व उन समस्याओं के निदान हेतु पहले, कम से कम मण्डल स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण सुनवाई केन्द्रों को स्थापित किया जाना।
- आयोग का निचले स्तर पर कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, जिससे बाल अधिकारों के हनन सम्बन्धी शिकायतों, घटनाओं की संज्ञान लेकर जॉच कराने आदि के लिए ''बाल अधिकार संरक्षण मित्र (CRPF)'' नामित कराये जाने की कार्ययोजना तैयार करना।
- आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर एवं 24 जनवरी को क्रमशः ''बाल दिवस'' एवं ''बालिका दिवस'' मनाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 तत्सम्बन्धी नियमावली–2011 के नियम–24 व 25 के अन्तर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बाल अधिकारों के उल्लघंन से सम्बन्धित Funding for Research, Evaluation, Monitoring and Supervision (REMS) के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय, और माध्यमिक विद्यालय में छात्र–छात्राओं के अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा आदि जॉच, अनुश्रवण मूल्यॉकन का प्रभावी ढंग से लागू कराये जाने की कार्ययोजना।
- प्रदेश में बाल संरक्षण/किशोर न्यायव्यवस्था को क्रियाशील बनाये रखने तथा निगरानी हेतु मा0 न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी की अध्यक्षता में किशोर न्याय समिति क्रियाशील है। इनके मार्गनिर्देशन में आयोग परस्पर सहभागिता के साथ कार्य करने हेतु दृढ़ संकल्प है तथा विभिन्न सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वयात्मक सहयोग भी अपेक्षित है।
- आयोग के द्वारा किये गये कार्यों से सम्बन्धित त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जाना है।
- आयोग के कार्यालय संचालन हेतु शासन की अधिसूचना सं0 6069/60–1–13–1/13(92)/06 दिनांक 29.11.2013 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु निम्न पद स्वीकृत है–संख्याधिकारी–1, बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ–1, कार्यालय अधीक्षक–1, वैयक्तिक सहायक–1, आशुलिपिक–7, लेखाकार–1, वरिष्ठ सहायक–2, लेखा सहायक–1, कनिष्ठ सहायक–2, जिसके सापेक्ष मात्र 01 कनिष्ठ सहायक वर्तमान में प्रतिनियुक्ति परकार्यरत है। रिक्त पदों को तत्काल नियमिति कार्मिकों की तैनाती आवश्यक है।
- आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के प्रबन्धन हेतु वरिष्ठ आई.ए.एस. संवर्ग केअधिकारी की तैनाती का प्राविधान है। वर्तमान में सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव के द्वारा सदस्य सचिव पद से सम्बन्धित प्रशासनिक/वित्तीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। प्रशासनिक सेवा से नियमित सदस्य सचिव की तैनाती शासन स्तर से कराया जाना कार्यहित में आवश्यक है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में रजिस्टार का पद स्वीकृत है। राज्य आयोग में अधिकांश कार्य विधिक प्रकृति से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में रजिस्टार का पद सृजन पृथक आवश्यक है। प्रशासन की अनुमति के पश्चात आयोग के द्वारा पृथक से उपयोगी पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा जायेगा।

प्रस्तुत कार्ययोजना –

- विकास खण्ड, तहसील, जिला, मण्डल स्तर पर बाल अधिकारों के संरक्षण कल्याण, पुनर्वासन से सम्बन्धित प्रदेश के समस्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार के साथ पीड़ित किशोर–किशोरियों एवं शिशुओं के शिकायतों के निराकरण हेतु ''बाल शिकायत निवारण दिवस'' प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह के गुरूवार को मनाये जाने का प्रस्ताव शासन को आयोग के पत्र सं0 353 दिनांक 19.11.2018 द्वारा भेजा गया है। प्रस्तावित कार्ययोजना के स्वीकृत के उपरान्त उक्त दिवस मनाये जाने से प्रदेश में निश्चित ही सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होगा।

सशक्त किशोर शक्ति, सशक्त समाज व राष्ट्रशक्ति